न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 16/2024

1. रामबिलास आयु 37 वर्ष पुत्र छीतरलाल, चमेलीबाई
2. हरिभजन आयु 24 साल पुत्र छीतरलाल, चमेलीबाई
3. राकेश नागर आयु 33 वर्ष पुत्र छीतरलाल, चमेलीबाई जातियान धाकड निवासीगण लालाहेडी श्यामपुरा तहसील सांगोद
4. मेनाबाई आयु 35 वर्ष पुत्री छीतरलाल, चमेलीबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा (अपीलांटगण)

बनाम

बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल सुमन जाति माली निवासी मालियो का मोहल्ला वार्ड नं0 2 बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
इंतकाल कमांक 1389 दिनांक 11–11–2019 ग्राम मियाडा तहसील बारां

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 23.10.2024

अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मियाडा की आराजी खसरा नं0 110 रकबा 1.14 हेक्टे0 पर इंतकाल कमांक 1389 दिनांक 11–11–2019 गलत रूपसे दर्ज किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पूर्व में मथरी पत्नी बिरधा कोम धाकड के खातेदारी मे थी जिसका देहान्त हो चुका है जिसके दो पुत्र व एक पुत्री मोहनीबाई थे दोनो पुत्र लाऔलाद अविवाहित अवस्था मे फोत हो चुके है मोहनीबाई की शादी पनवाड रामनारायण के साथ की गई जिसके एक मात्र पुत्री चमेलीबाई उत्पन्न हुई जिसकी शादी लालाहेड़ा तहसील सांगोद मे की गई किन्तु मोहनीबाई से पूर्व ही चमेलीबाई का देहान्त हो गया उसके बाद मोहनीबाई का देहान्त हुआ अपीलांटगण चमेलीबाई के विधिक वारिस व कायम मुकामान है इस प्रकार तहसीलदार बारां द्वारा मथरी के विधिक वारिसान के पक्ष में इंतकाल न दर्ज कर बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी बोहत के नाम से गलत दर्ज किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल कमांक 1389 दिनांक 11–11–2019 ग्राम मियाडा निरस्त फरमाया जावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे ।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल ... रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने प... ण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:03 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट... अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मियाड़ा की आराजी खसरा नंबर 110 रकबा 1.14 है. मथरी प... कौम धाकड़ के खातेदारी में दर्ज थी। उसके देहान्त के पश्चात ... आराजी विरासतन अपीलां... के खाते दर्ज नहीं

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कर तहसीलदार बारां ने रेस्पोडेन्ट के खाते जरिये इंतकाल नंबर 1389 दिनांक 11.11.2019 गलत रूप से दर्ज कर दी। अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम मियाड़ा का नामान्तकरण संख्या 1389 दिनांक 11.11.2019 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील विधितः संधारणीय नहीं है। उक्त नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा वाद संख्या 158/2018 बउनवान बजरंगलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 की पालना में खोला गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 के विरूद्ध अपील न्यायालय आर ए ए कोटा मे अपील संख्या 2024/32 पेश हुई जो निर्णय दिनांक 22.08.2024 से खारिज हुई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 की पालना में खोले गये नामान्तकरण को सम्मानीय न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार न होते हुए भी नामान्तकरण संख्या 1389 बाबत की गयी अपील निरस्तनीय है। लिखित बहस के साथ अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 158/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 एवं न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 2024/32 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2024 की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। नामान्तकरण कार्यवाही समरी ट्रायल एवं फिस्कल कार्यवाही है जिसके माध्यम से हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा वाद संख्या 158/2018 बउनवान बजरंगलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 की पालना में खोला गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा वाद संख्या 158/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 2024/32 निग्रय व डिक्री दिनांक 22.08.2024 द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटगण सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:13:03 IST
Reason: SelfAttested